

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 25 / 2020

अपीलांट-

जोगाराम पुत्र होताराम जाति  
मेघवाल निवासी मगनाणियों की  
ढाणी भाडखा तहसील व जिला  
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट्स -

1. नारणाराम पुत्र भीमाराम
2. सगताराम पुत्र भीमाराम
3. कानाराम पुत्र भीमाराम
4. पुरखाराम पुत्र भीमाराम
5. अगरी पत्नी भीमाराम
6. राउराम पुत्र जवाहराराम
7. भारूराम पुत्र जवाहराराम
8. कानूदेवी पत्नी जवाहराराम  
जाति मेघवाल निवासी मगनाणियों की  
ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,  
1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.05.2018 जो प्रकरण संख्या 63/2018  
में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री सुनील बी एल रामावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुखदेव जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1से8 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं. 9 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 30.03.2021

अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि  
के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई  
हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा मगनाणियों की ढाणी  
के खसरा नम्बर 789, 790 रकबा क्रमशः 66-11, 139-06 कबा  
205-17 बीघा के खातेदारान राउ, भारू पि0 जवारा, कानू पत्नी जवारा,  
जोगा वल्द होता, नारणा, सगता, काना, पुरखा पि0 भीमा, अगरी पत्नी भीमा



जिला कलक्टर  
बाड़मेर

कौम मेघवाल साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2018 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भाडखा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौके के कब्जा काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, लगान का पुनः विभाजन सही किया गया है, जिन खातेदारों की भूमि बैंक में रहन है उनकी भूमि विभाजन में भी रहन दर्ज की गई है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 63 दिनांक 04.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 से 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 04.05.2018 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता एवं रेस्पोंडेंट ने कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। पक्षकारान अनपढ़ होने से विश्वास में तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अंगुष्ठ-हस्ताक्षर कर कदीमी मौका कब्जा-काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर प्रशासन गांवों के संग अभियान में तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभाजन नक्शा एवं मौके पर कब्जा-काश्त में तरमीम में भिन्नता होने के कारण अपीलांट व रेस्पोंडेंट्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई और न ही मौके पर जाकर पैमाईश कर भूमि की गुणवत्ता, भौतिक स्थिति व रास्ता की उपयोगिता को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार विभाजन करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करने से यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना एवं राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का



जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि 15 दिन पूर्व जब अपीलांट अपने कब्जे-काश्त की भूमि में काश्त करने लगे तब रेस्पोंडेंट्स द्वारा काश्त करने पर विरोध किया गया। अपीलांट को बताया गया कि बंटवाड़ा में यह जमीन रेस्पोंडेंट के नाम हो गई है इस कारण अपीलांट को इस जमीन पर काश्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी ली तब सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलाधीन आराजी गलत रूप से बंटवारा करवा दिया गया। इस प्रकार जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेंट्स संख्या 1से8 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील के तथ्यों को स्वीकार कर जवाब में प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन सहमति से अवश्य हुआ था किन्तु इससे पूर्व मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश नहीं होने से कब्जे एवं रेकॉर्ड में भिन्नता आ रही है तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश उपरांत पक्षकारान के हिस्सा अनुसार विभाजन की कार्यवाही नये सिरे से करें।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मगनाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 789, 790 रकबा क्रमशः 66-11, 139-06 कुल रकबा 205-17 बीघा के खातेदारान राउ, भारू पि0 जवारा, कानू पत्नी जवारा, जोगा वल्द होता, नारणा, सगता, काना, पुरखा पि0 भीमा, अगरी पत्नी भीमा कौम मेघवाल साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2018 तहसीलदार बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भाडखा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौके के कब्जा काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, लगान का पुनः विभाजन सही किया गया है, जिन खातेदारों की भूमि बैंक में रहन है उनकी भूमि विभाजन में भी रहन दर्ज की गई है। इस पर



तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 63 दिनांक 04.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स का कथन है कि उक्त विभाजन से पूर्व मौके पर कब्जे-काश्त की जांच एवं पैमाईश नहीं होने से मौके कब्जे एवं नक्शा में तरमीम में भिन्नता आ रही है, जिसके फलस्वरूप पक्षकारान के आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है। इसके समाधान हेतु सभी पक्षकारान ने नये सिरे से विभाजन कराये जाने हेतु सहमति प्रकट की है, लिहाजा पक्षकारान की सहमति के आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे-काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 04.05.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम शीणा)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर